

## उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी-30 / ऋण-लक्ष्य/उद्देश्यवार/2019-20

दिनांक-19.07.2019

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबंधक,  
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के शाखावार एवं उद्देश्यवार ऋण वितरण लक्ष्य।**

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं० सी-06/ऋण/लक्ष्य/2019-20 दिनांक 09.04.19 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास के ऋण लक्ष्य निर्धारित करते हुए ऋण वितरण करने के निर्देश जारी किये गये थे।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के ऋण वितरण के वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण शाखाओं की गत वर्षों के ऋण वितरण लक्ष्य, पूर्ति एवं आउटस्टैंडिंग आदि व्यवसायिक आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। बैंक के व्यापक व्यवसायिक हितों, शाखाओं को स्वाश्रयी बनाने, शाखाओं के प्रबन्धकीय व्यय को दृष्टिगत रखकर एवं बैंक की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शाखाओं का न्यूनतम लक्ष्य रू० 200.00 लाख तथा अधिकतम लक्ष्य रू० 400.00 लाख के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार उक्तानुसार आंकलन से बैंक का ऋण वितरण का कुल लक्ष्य रू० 800.00 करोड़ किया गया है। इसी क्रम में शाखाओं के वित्तीय वर्ष 2019-20 के ऋण वितरण लक्ष्य प्रथम त्रैमास तक क्रमिक 25 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास तक क्रमिक 45 प्रतिशत, तृतीय त्रैमास तक क्रमिक 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ त्रैमास तक क्रमिक 100 प्रतिशत निर्धारित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में शाखाओं द्वारा ऋण वितरण करते समय गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

1. ऋण वितरण करते समय शाखा के निर्धारित उद्देश्यवार लक्ष्यों के अनुसार ही ऋण वितरण किया जाय। बैंक की प्रचलित विभिन्न योजनाओं में सीजनल्टी को ध्यान में अवश्य रखा जाय।
2. शाखा के लघु सिंचाई, कृषियंत्रिकरण एवं एसआरटीओ के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक ऋण वितरण शाखा की आवश्यकतानुसार अन्य किसी उद्देश्य के लक्ष्यों से परिवर्तित किया जा सकता है।
3. बिन्दु-02 में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य शेष उद्देश्यों में से यदि किसी उद्देश्य में लक्ष्य से अधिक ऋण वितरण की सम्भावना हो तो उद्देश्य के लक्ष्य परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाकर योजनाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ऋण वितरण किया जाए।
4. शाखा प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शाखान्तर्गत सभी विकास खण्डों में ऋण वितरण अवश्य किया जाय।
5. शाखा प्रबन्धक शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त ऋण पत्रावलियों पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत कर वितरित करेंगे।
6. लघु सिंचाई योजनान्तर्गत सेमी-क्रिटिकल विकास खण्डों में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों के अधीन ही ऋण वितरण किया जाय।
7. शाखा प्रबंधक ऋण वितरण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी की पहचान प्रमाणित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र के साथ के.वाई.सी.(Know your customer) के नामर्स पूर्ण करें।




लाभार्थी से पहचान के रूप में प्राथमिकता पर आधार कार्ड अवश्य लिया जाय तथा आधार नम्बर लाभार्थी के ऋण प्रार्थनापत्र व लोन लेजर में अवश्य अंकित किया जाय।

8. शाखाओं द्वारा जिन उद्देश्यों में ऋण वितरण किया जाय शाखा प्रबंधक एवं पत्रावली तैयारकर्ता यह स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि ऋणराशि का पूर्ण सदुपयोग कर लिया गया है तथा लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्ति सृजित कर ली गयी है ताकि वितरित ऋणों की वसूली शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जा सके।
9. शाखा प्रबंधक अपने स्तर से यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि शाखाओं द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के अन्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष शत-प्रतिशत पुनर्वित्त प्रस्ताव(एल.डी.बी.-28) मुख्यालय को प्रत्येक माह सही-सही प्रेषित किया जाए।


उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:- शाखावार/मण्डलवार लक्ष्य।

  
(के० पी० सिंह)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ प्रबन्धक(आई०टी०सेल), उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ को इस आशय के साथ कि बैंक की समस्त शाखाओं को ई-मेल कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०/प्रशि० केन्द्र, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबंधक।
5. निजी सचिव(प्रबन्ध निदेशक) उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
6. निजी सचिव(सभापति) उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को मा० सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

  
प्रबन्ध निदेशक



# उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्र०का०,लखनऊ ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के मण्डलवार एवं उद्देश्यवार ऋण वितरण लक्ष्य

(धनराशि लाखों में)

क्र०सं०	मण्डल	लघु सिंचाई	कृषि यंत्रीकरण	डेयरी व पशुपालन	मुर्गी/ कुक्कुट पालन	बागवानी व फलोद्घान	अकृषि क्षेत्र की योजनाएं	लघु सड़क वाहन	एनबीसीएफडीसी/ एनएसएफडीसी	अन्य विविध योजनाएं	ऋण लक्ष्य 2019-20
1	अलीगढ़	280.00	280.00	1680.00	672.00	672.00	840.00	280.00	448.00	448.00	5600.00
2	आगरा	362.50	362.50	2175.00	870.00	870.00	1087.50	362.50	580.00	580.00	7250.00
3	मुरादाबाद	407.50	407.50	2445.00	978.00	978.00	1222.50	407.50	652.00	652.00	8150.00
4	मेरठ	247.50	247.50	1485.00	594.00	594.00	742.50	247.50	396.00	396.00	4950.00
5	सहारनपुर	247.50	247.50	1485.00	594.00	594.00	742.50	247.50	396.00	396.00	4950.00
6	बरेली	450.00	450.00	2700.00	1080.00	1080.00	1350.00	450.00	720.00	720.00	9000.00
7	लखनऊ	427.50	427.50	2565.00	1026.00	1026.00	1282.50	427.50	684.00	684.00	8550.00
8	कानपुर	217.50	217.50	1305.00	522.00	522.00	652.50	217.50	348.00	348.00	4350.00
9	अयोध्या	195.00	195.00	1170.00	468.00	468.00	585.00	195.00	312.00	312.00	3900.00
10	देवीपाटन	130.00	130.00	780.00	312.00	312.00	390.00	130.00	208.00	208.00	2600.00
11	गोरखपुर	187.50	187.50	1125.00	450.00	450.00	562.50	187.50	300.00	300.00	3750.00
12	बस्ती	90.00	90.00	540.00	216.00	216.00	270.00	90.00	144.00	144.00	1800.00
13	आज़मगढ़	147.50	147.50	885.00	354.00	354.00	442.50	147.50	236.00	236.00	2950.00
14	प्रयागराज	192.50	192.50	1155.00	462.00	462.00	577.50	192.50	308.00	308.00	3850.00
15	वाराणसी	137.50	137.50	825.00	330.00	330.00	412.50	137.50	220.00	220.00	2750.00
16	मिर्जापुर	65.00	65.00	390.00	156.00	156.00	195.00	65.00	104.00	104.00	1300.00
17	झांसी	122.50	122.50	735.00	294.00	294.00	367.50	122.50	196.00	196.00	2450.00
18	चित्रकूट	92.50	92.50	555.00	222.00	222.00	277.50	92.50	148.00	148.00	1850.00
महायोग		4000.00	4000.00	24000.00	9600.00	9600.00	12000.00	4000.00	6400.00	6400.00	80000.00



